Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (भारत सरकार), शिवपुर
(An Institution of National Importance under MOE, Govt. of India)

११ वाँ वार्षिक दीक्षांत समारोह, २०२४

विज्ञापन क्रमांक. आरओ/डीई/२४/१२ **दिनांक: १२.१२.२०२४**

आईआईईएसटी, शिवपुर का ग्यारहवां वार्षिक दीक्षांत समारोह शुक्रवार, २० दिसंबर २०२४ को सुबह १०:०० बजे से संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक, श्री पी. एम. प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आईआईईएसटी, शिवपुर के शासी मण्डल की अध्यक्षा डॉ. (मानद उपाधि) तेजस्विनी अनंत कुमार, समारोह की अध्यक्षता करेंगी। आईआईईएसटी, शिवपुर के निदेशक प्रो. वी.एम.एस.आर. मूर्ति, स्वागत भाषण देंगे।

कुलसचिव

HDB FINANCIAL SERVICES

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, : 380009 शाखा कार्यालय: दूसरी मंजिल हरि कॉम्प्लेक्स, वेव मॉल के पीछे डी-कोर्बिज होटल के पास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण/वित्तीय सुविधाएं प्राप्त की हैं और उसके पुनर्भुगतान में चूक की है। आपकी चूक के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसके तहत धारा 13(2) के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम के अनुसार और वैकल्पिक सेवा के माध्यम से अनुसार यहां प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख, नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम :) 1). नारंग मेटल– नारंग मेटल, विजय नगर रामपुर रोड मुरादाबाद एचओ–244001 उत्तर प्रदेश। यह भी :खसरा नंबर– 325, 333, विजय नगर भौदौरा बहार चुंगी परगना और जिला मुरादाबाद एचओ–244001 2)। नेहा नारंग– मकान नंबर 34 अवंतिका कॉलोनी मुरादाबाद एचओ–244001 उत्तर प्रदेश। 3) गीतांश नारंग– एच नंबर सी–34, अवंतिका कॉलोनी मोरादाबाद एचओ–244001 उत्तर प्रदेश **4). भरत नारंग–** एच नंबर सी–34, अवंतिका कॉलोनी मोरादाबाद एचओ–244001 उत्तर प्रदेश, **ऋण खाता संख्या: 7617349, 7832387,** ऋण **राशि–रु. 49,04, 160/– (रुपये उन्चास लाख चार हजार एक सौ सात मात्र) ऋण खाता संख्या 7617349 द्वारा, रु. 5,00,000/– (रुपये पाँच लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 7832387 द्वारा, मांग सूचना दिनांक–26– 10–2024य दावा की गई राशि – 26–10–2024 तक रु.49,50,698.28/– (रुपये उन्चास लाख पचास हजार छह सौ अट्ठानवे तथा अट्ठाईस पैसे मात्र)** तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय एनपीए तिथि– 3–7–2024। सुरक्षा का विवरण: भदूरा बहार चुंगी, विजय नगर, तहसील और जिला मुरादाबाद में स्थित खसरा संख्या 325, 333 के अंतर्गत 161.56 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पूरी संपत्ति। **संपत्ति की सीमा:– उत्तर–** रास्ता 04.80 मीटर चौड़ा, **दक्षिण:** – जगदीश सरन अग्रवाल का मकान, **पश्चिम:–** पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता का मकान

इसलिए आपसे उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और जमानतदारों को ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपरोक्त मांग की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उपर्युक्त प्रतिभूतियाँ। (उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।) कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप इससे प्रतिबंधित हैं। उपरोक्त उल्लिखित प्रतिभूतियों को हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरित करना और अधिनियम की धारा 13(13) का कोई भी गैर–अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कुश कपूर फोन: 9838076150 या विकास आनंद 09711010384 से संपर्क करें

हस्ता/- एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

स्थान: लखनऊ , दिनांक: 14.12..2024 **अधिकृत अधिकारी,**

AXIS BANK

खुदरा आस्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विहाराउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, कार्पोरेट कार्यालय : 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025 पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्वेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/ बंधकदाता(ओं) तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है।

कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम :– 1. मैसर्स विनायक एक्आर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय बी 19/602 एबीएल 36 सेक्टर 36 ए गुड़गांव हरियाणा 122004 में स्थित है, इसके निदेशक के माध्यम से 2. श्री मनोज शर्मा एस/ओ बीजी शर्मा एच. नंबर–02 पी, सेक्टर–62 बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा 121004 अन्य पता श्री मनोज शर्मा एस/ओ बीजी शर्मा ई–29, प्रथम तल, विपुल वर्ल्ड साउथ सिटी ।।, सेक्टर 48, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा– 122018। 3. श्रीमती प्रिया शर्मा डब्ल्यू/ओ मनोज शर्मा एच. नंबर–02 पी, सेक्टर– 62 बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा 121004 अन्य पता श्रीमती प्रिया शर्मा डब्ल्यू/ओ मनोज शर्मा ई–29, प्रथम तल, विपुल वर्ल्ड साउथ सिटी आईएल, सेक्टर 48, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा– 122018

बंधक सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति/प्लॉट संख्या 29, ब्लॉक–ई, विपुल वर्ल्ड, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 परिमाप 240 वर्ग मीटर का पृथक प्रथम तल, परिमाप 136.47 वर्ग मीटर, साथ में सभी भवन और संरचनाएं, फिक्सचर, फिटिंग और सभी प्लांट और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान और भावी दोनों, जो श्रीमती प्रिया शर्मा के नाम पर हैं। पूरब– डीड के अनुसार, पश्चिम– डीड के अनुसार, दक्षिण– डीड के अनुसार, उत्तर– डीड के अनुसार

मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	मांग सूचना में राशि (रू.)
22–02–2024	12–12–2024	रु. 69,40,485.50 /– (रु. 52,81,106.50 एसबीबी ओवरड्राफ्ट ऋण + रु. 16,59,379 /– एसबीबी ईसीएलजीएस टर्म लोन) (रुपये उनहत्तर लाख चालीस हजार चार सौ पिचासी और पैसे पचास मात्र)

उपरि–वर्णित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त बकाया राशि 30 दिन के भीतर चुकता कर दें, अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर बंधक सम्पत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेची जाएंगी।

तिथि : 14–12–2024, **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : नोएडा **एक्सिस बैंक लिमिटेड**

ओरिएण्ट बेल लिमिटेड

सीआईएन : L14101UP1977PLC021546
पंजीकृत कार्यालय रू 8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद–203205, बुलन्दशहर, उ.प्र.
कॉर्पोरेट कार्यालय : आइरिस हाउस, 16 बिजिनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली–110046
दूरभाष : +91–11–47119100, ई–मेल : investor@orientbell.com,
वेबसाइट रू www.orientbell.com

डाक मतपत्र /ई-मतदान की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (जिसे आगे नियम कहा जाएगा) के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे आगे सेबी सूचीबद्धता विनियम कहा जाएगा) के लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे आगे एमसीए कहा जाएगा) या सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार , एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 6 दिसंबर, 2024 को जारी डाक मतपत्र सूचना में इस मद में निर्धारित अनुसार कार्यवाही करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाएगा।

उक्त डाक मतपत्र नोटिस तथा व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। ये कंपनी की वेबसाइट www.orientbell.com के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जैसे बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com क्रमशः पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

सदस्य "28 अक्टूबर, 2024 से 27 अक्टूबर, 2025 तक की अवधि के लिए गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में कंपनी के निदेशक के रूप में सुश्री बिंदिया श्याम अग्रवाल (डीआईएन: 09373404) की नियुक्ति और उन्हें पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित विशेष प्रस्ताव पर अपना वोट केवल दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित अनुसार दे सकते हैं।

नियमों के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी डाक मतपत्र प्रक्रिया के लिए एनएसडीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमटेरियलाइज्ड मोड और फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ ई–वोटिंग का तरीका डाक मतपत्र सूचना में प्रदान किया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग के संचालन के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सुश्री आशु गुप्ता को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। पोस्टल बैलट के नतीजे मंगलवार, 14 जनवरी, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे।

स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ नतीजे कंपनी की वेबसाइट www.orientbell.com के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसे इस प्रकार ध्यान दिया जा सकता है:

क) कट–ऑफ तिथि यानी 06 दिसंबर, 2024, को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ऐसे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से नोटिस में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ख) रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 14 दिसंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और रविवार, 12 जनवरी, 2025 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ग) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा, जिसका नाम कंपनी के आरटीए द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक दर्ज है।

ई–मेल पता पंजीकृत कराने/अपडेट कराने की रीति :

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी को अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट ("आरटीए"), एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020, दूरभाष नं. रू 011–41406149 से सम्पर्क कर धलिखकर अपना ई–मेल पता और मोबाइल नम्बर अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत करा सकते हैं और जो सदस्य डीमैट फॉर्म में शेयर रखते हैं, वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

किसी पूछताछ के लिए सदस्य अधोहस्ताक्षरी से 91–11–47119100 पर सम्पर्क करें अथवा अधोहस्ताक्षरी को investor@orientbell.com पर लिखें या अपनी पूछताछ कॉर्पोरेट कार्यालय के पते आइरिस हाउस 16 बिजिनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली–110046 पर भेजें।

कृते ओरिएण्ट बेल लिमिटेड
ह./–
योगेश मेंदीरत्ता
कम्पनी सचिव एवं विधि प्रमुख

नई दिल्ली
13 दिसंबर, 2024

orientbell tiles

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	**ऋण खाता सं. HE01DEF00000007333 एवं HE01DEF00000008576)** **1. श्यामल मन्ना (आवेदक)** **2. सरस्वती मन्ना (सह–आवेदक)** **3. मैसर्स मन्ना ऐंड सन ज्वैलर्स (इसके स्वामी श्यामल मन्ना के माध्यम से) (सह–आवेदक)** **1 से 3 तक का पता :–** 65/76, द्वितीय तल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 **4. श्यामल मन्ना (आवेदक)** **5. सरस्वती मन्ना (सह–आवेदक)** **6. मैसर्स मन्ना ऐंड सन ज्वैलर्स (इसके स्वामी श्यामल मन्ना के माध्यम से) (सह–आवेदक)** **4 से 6 तक का पता :–** मकान नंबर 4633, भू तल, गली नंबर 50, रेहड़पुरा, करोल बाग, दिल्ली–110005	03–09–2024	रू. 1,38,02,863/– 03–09–2024	न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित ब्लॉक नंबर 65 में खसरा नंबर 1045/153 पर प्लॉट नंबर 76, परिमाप लगभग 253 वर्ग गज (कुल) पर निर्मित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 9523 (65/76) का अंश सम्पूर्ण द्वितीय तल (टेरेस/छत के अधिकार नहीं) स्टिल्ट पार्किंग में 1/4 हिस्सा सहित। निम्नानुसार परिबद्ध :– पूरब : सर्विस लेन, पश्चिम : रोड, उत्तर : सम्पत्ति सं. 65/77, दक्षिण : सम्पत्ति सं. 65/75	11–12–2024 सांकेतिक

तिथि : 14–12–2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर **प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**

IndiaShelter Home Loans

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : 6ठी मंजिल, प्लॉट 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, दूरभाष : 800-532-4444
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदारों और जमानतदारों या उनके कानूनी उत्तराधिकारी(यों) या प्रतिनिधि को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद प्रतिभूत लेनदार कहा जाएगा) के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है–6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 4 गुरुग्राम हरियाणा –122002, कर्जदारों, सह कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत ऋणदाता को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री नीचे उल्लिखित स्थान पर अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या तथा कर्जदारों/सह-कर्जदारों/ गारंटरों के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि: 28 सित.-2022 रु. 716666.47/-	कब्जे की तिथि तथा प्रकार: 06-अप्रैल-2024 भौतिक कब्जा	आरक्षित मूल्य रु. 604800/- (रुपये छः लाख चार हजार आठ सौ मात्र)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय: 26 दिस.-2024 (12 बजे अप. to 5 बजे अप.)
AP-1014835/ HL32CHLONS000005009461 श्रीमती बजरंगी बाई (कर्जदार) श्री बजरंग लाल (सह-कर्जदार) श्री पवन कुमार (सह-कर्जदार) श्रीमती कर्मा मेघवाल (सह-कर्जदार)	बोली वृद्धि राशि: 10,000/-	कुल बकाया रु. 9,56,037/- (रुपये नौ लाख छप्पन हजार सैंतीस मात्र) तिथि 31-दिस.-2024 तक	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 60480/- (रुपये साठ हजार चार सौ अस्सी मात्र)	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 29-दिस.-2024 नीलामी की तिथि : 30-दिस.-2024 (10 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.)

अचल संपत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण: पट्टा संख्या 346 का समस्त भाग, गुर्जरो का मोहल्ला बड़गांव, बूंदी रोड कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित, 2796 वर्ग फुट, **सीमा इस प्रकार है:– पूर्व– अन्य घर, पश्चिम– महावीर सिंह का घर, उत्तर– सड़क, दक्षिण– बाबू लाल का घर**

ईएमडी जमा करने का स्थान: प्रथम तल, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपर्पज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान-324007

नीलामी का स्थान : जयपुर : प्रथम तल, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपर्पज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान-324007

भुगतान का तरीका:– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आईएमपीएस / आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा।

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या तथा कर्जदारों/सह-कर्जदारों/ गारंटरों के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि :19-अगस्त-2023 रु. 4,25,963/-	कब्जे की तिथि तथा प्रकार: 28-मार्च-2024 भौतिक कब्जा	आरक्षित मूल्य: रु. 2,78,800/- (रुपये दो लाख अठहत्तर हजार आठ सौ मात्र)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय: 26 दिस.-2024 (12 बजे अप. to 5 बजे अप.)
AP-10058797/ LABUCLLONS000005092160 श्रीमती श्याम बाई (कर्जदार) श्री बहादुर सिंह (सह-कर्जदार) श्री चेतन (सह-कर्जदार) श्री सोहन सिंह (सह-कर्जदार)	बोली वृद्धि राशि: 10,000/-	कुल बकाया रु. 5,17,386/- (रुपये पांच लाख सत्रह हजार तीन सौ छियासी मात्र) तिथि 04-नव.-2024 तक	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 27,880/- (रुपये सत्ताईस हजार आठ सौ अस्सी मात्र)	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 29-दिस.-2024 नीलामी की तिथि : 30-दिस.-2024 (10 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.)

अचल संपत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण: पट्टा संख्या 346 का समस्त भाग, गुर्जरो का मोहल्ला बड़गांव, बूंदी रोड कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित, 2796 वर्ग फुट, **सीमा इस प्रकार है:– पूर्व– अन्य घर, पश्चिम– महावीर सिंह का घर, उत्तर– सड़क, दक्षिण– बाबू लाल का घर**

ईएमडी जमा करने का स्थान: प्रथम तल, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपर्पज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान-324007

नीलामी का स्थान : प्रथम तल, पंजवानी कॉम्पलेक्स, सामने मल्टीपर्पज स्कूल, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान-324007

भुगतान का तरीका:– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आईएमपीएस / आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा।

बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट **www.indiashelter.in** देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी विनय राणा (7988605030) से संपर्क करें।

स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे. तिथि : 14.12.2024 **(अधिकृत प्राधिकारी)**
कृते इण्डिया शेल्टर कॉर्पोरेशन फाइनेंस लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, **शाखा कार्यालय:** बीपी–49, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद–121001, शाखा कार्यालय : दुकान संख्या 6, ऊपरी भूतल, सी.आर. मॉल, चर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा 282002, **शाखा कार्यालय :** संख्या– 4,5,6,7, प्रथम तल, श्री राम पैलेस, भोजा मार्केट, सेक्टर–27, विनायक अस्पताल के पास, अट्टा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों तथा सम्पत्ति के स्वामी से/आश्वस्ति कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर भौतिक कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

| कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी) तथा ऋण खाता संख्या | प्रभारित/बंधक सम